



कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक:- 162/अभ ३०-7/24

दिनांक 05/6/24

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई में प्रधानमंत्री आवास योजना के संशोधित पार्ट ले-आउट की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3 के प्रस्तर 3.1.5 के अनुसार वैधता नियमतः दिनांक 05.08.2021 से 04.08.2026 है। वैधता तिथि का विस्तार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमतः तीन वर्षों के लिए होता है। तदक्रम में आवश्यकतानुसार वैधता तिथि के विस्तार हेतु बैठक आहूत की जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता जोन-7

BASANTKUNJ YOJNA SECTOR-I PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA SPEIFICATIONS

- 1- 6.0 MT AND 5.0 MT WIDE CC ROAD & RCC DRAINS PROPOSED.
- 2- MORE THAN 15% LAND RESERVED FOR PARKS & GREEN AREAS.
- 3- AREA RESERVED FOR COMMERCIAL AND EDUCATIONAL PLOTS.
- 4- WATER SUPPLY THROUGH OVER HEAD TANK PROPOSED.
- 5- PROPER DRAINAGE SYSTEM IS PROPOSED.
- 6- SEWERAGE SYSTEM WITH S.T.P AT DAULATGANJ NEAR BASANTKUNJ YOJNA.
- 7- STREET LIGHTS PROPOSED.


(राम सागर वर्मा)
अवर अभियन्ता


(अखिलेश कुमार)
सहायक अभियन्ता


(अतुल मिश्रा)
सहायक अभियन्ता
ल०वि०प्रा०